





न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
73/19	53,188 RTM	नीमवेडा	दुर्गा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
शीलावाई		बनाम	नट्टीजाल

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
31 ⁷ / ₀₁₉	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/09 को पेश हो।	
21 ⁸ / ₀₁₉	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26.1.0.19 को पेश हो। 	1 नो ए सी को नो ए सी 2 
26 ⁰⁸ / ₁₉	पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी उभरता 9/8 के वाद लामील समत भारत। जिनकी ओर से श्री सोमेश जी एडवो. द्वारा आउट टैकिंग पेश की गई है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 17/9/09 को पेश हो।	
17 ⁹ / ₀₁₉	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.1.0.19 को पेश हो। 	
22 ¹⁰ / ₀₁₉	पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी, भाषी उपस्थित। जवाब पेश नहीं हुआ समत वादा है वास्ते अतिरिक्त पत्रावली दिनांक 20/11/09 को पेश हो।	1 नो ए सी अनो ए सी 2 

25⁴/₂₂

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक... 6.1.22... को पेश हो।

न्यायालय सप्लाइंग अधिकारी
छबड़ा (बारा),

8⁶/₂₂

पत्रावली पेश हुई। बकुलए परीकेन उपस्थित।
साक्ष्यवादी उपस्थित नहीं। समय — जाड़ा है। न्यायदिक
में अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते साक्ष्यवादी
पत्रावली दिनांक 13/1/22 को पेश हो।

13⁷/₂₂

पत्रावली पेश हुई। बकुलए परीकेन उपस्थित।
साक्ष्यवादी उपस्थित नहीं। समय — जाड़ा है। न्यायदिक
में अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य-
वादी पत्रावली दिनांक 29/1/22 को पेश हो।

29⁸/₂₂

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक... 9.1.11.22... को पेश हो।

न्यायालय सप्लाइंग अधिकारी
छबड़ा (बारा),

9¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। बकुलए परीकेन उपस्थित। साक्ष्य
वादी उपठ नहीं। समय — जाड़ा है। वास्ते साक्ष्यवादी
अंतिम अवसर दिया जाता है। साक्ष्यवादी पत्रावली
दिनांक 20/1/22 को पेश हो।

20¹²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील
प्रार्थी को रुक रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई।
फिर भी कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम शपरी
अदम पेशी रकारिज किया जाता है। पत्रावली
पेशाल शुमार होकर दारिखल दपतर हो।